21/7/25

पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता जवाब पेश नही कर सीधे ही बहस करना चाहते है,जो विप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित आराजी का प्रार्थी रिकार्डेड सह–खातेदार है तथा सह खातेदारान के हिस्से भी खुले हुए है,लेकिन विधिवत बंटवाड़ा नही होने के कारण विप्रार्थी द्वारा आए दिन प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि में दखलदान्जी की जा रही है। अंत मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व स्थगन आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि मे विप्रार्थी दखंलदाजी नही करे एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि में कभी दखलदान्जी नही की गई है। विप्रार्थी बंटवाड़ा करवाने की सहमति भी दी गई है। सहखातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावे।

हमने दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद बंटवाड़ा का पेश किया गया है,जिसमे उभयपक्षकारान अधिवक्तो

रीख हुक्म		हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज		अहलकार की ता
		द्वारा विवादित आराजी का बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाने पर सहमति दी गई है। उभयपक्षकारान विवादित आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार है तथा सहखातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई औचित्य पूर्ण कारण सामने नहीं आया है,जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा		